

ducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal at Rewa.

No.B-1518-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Rakesh Mohan Pradhan, IVth Additional Sessions Judge, Morena in place of Shri J.K. Verma, Special Judge, SC/ST (POA) Act, Morena for the trial of offences, exclusively triable by court of Sessions relating to-various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal at Morena.

No.B-1520-III-6-5-14.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Devendra Deo Dwivedi, IIInd Additional Sessions Judge, Damoh in place of Shri Tarkeshwar Singh, Special Judge, SC/ST (POA) Act,Damoh for the trial of offences, exclusively triable by court of Sessions relating to-various examination conducted by Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal investigated by agencies other than Special Task Force Bhopal at Damoh.

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, OSD(DE).

**विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश टाउन हॉल परिसर,
जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाधाट**

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 मई 2015

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों के प्रकाशन की सूचना

क्र. 1527.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों का मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा द्वारा निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति नगरपालिका छिन्दवाड़ा, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा एवं उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय एवं दिवसों में निरीक्षण के लिये दिनांक 22 मई 2015 से उपलब्ध है।

निवेश क्षेत्र की अनुसूची

1. उत्तर—पूर्व में—खौरीभोपाल, लहगड़ा, अंजनिया, सुर्यो, सोनाखार उत्तर—पूर्वी सीमा तक.
2. पूर्व—दक्षिण में—इमलियाबोहता बोरिया, सरसवाड़ा, सोनपुर, इमलीखेड़ा पूर्व-दक्षिणी सीमा तक.
3. दक्षिण—पश्चिम में—थुनियाभांड, चन्दनगाव, गुरेया, उमरिया, गोआम दक्षिणी-पश्चिमी सीमा तक.
4. पश्चिम—उत्तर में—काराबोह, खजरी, झण्डा पश्चिम—उत्तरी सीमा तक.

यदि इस प्रकार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उन्हें संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला-छिन्दवाड़ा को उस मूद्दना के मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर ऐसे अथवा प्रकाशन स्थल पर प्रस्तुत करें।

वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त होगी उन पर संयुक्त संचालक द्वारा विवार किया जावेगा।

स्थान: नगर पालिका, छिन्दवाड़ा.
दिनांक : 15 मई 2015.

जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2015

शुद्धिपत्र

क्रमांक ए-1463-तीन-10-42-75-संशोधन.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2015 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना क्रमांक बी-1548-तीन-10-42-75 (रत्लाम-जावरा-आलोट), दिनांक 9 अप्रैल 2015 में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है:—

“हिन्दी संस्करण में घोषित कार्यस्थल सतना के स्थान पर घोषित कार्यस्थल जावरा पढ़ा जावे।”

CORRIGENDUM

The High Court of Madhya Pradesh hereby issues corrigendum of its Notification No.B-1548-III-10-42-75 (Ratlam-Jaora-Alote), dated 9 April 2015 which was published on dated 9th April 2015 as under:—

“In the Hindi Version sitting declared at Sana be read as sitting declared at Jaora.”

VIVEK SAXENA, OSD(DE).